

संख्या 462

नं० ए० बी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग 1 खण्ड [ख]
[परिनिपत आदेश]

लखनऊ सोमवार, 17 जुलाई 1978
आपाण 26, 1900 शक सम्बत्, उत्तर प्रदेश सरकार आवास अनुभाग-3
संख्या 2127/37-3-21 आर० बी० ओ०/62

लखनऊ 17 जोलाई, 1978

अधिसूचना संख्या, 2127/37-3-1, आर० बी० ओ०/62 की
प्रति शुद्ध पत्र सं० 5678/37-3-21-आर० बी० ओ०-62
दिनांक लखनऊ 23 मार्च, 1979 द्वारा संशोधित

प. आ. 293

अतएव अब उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा [1] के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त पूर्ववर्ती सूचनाओं को अतिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित करते हैं।

विनियमित क्षेत्र सहारनपुर

- [1] सहारनपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र और
- [2] जिला सहारनपुर की तहसील सहारनपुर और नकुड़ के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 दरा राजपुरा | 7 मानकमऊ | 13 दोलपुरा कदीम |
| 2 दरा मिलकाना | 8 दराशिवपुरी स्वाद | 14 दाबकी जुनारदार |
| 3 दरा कोटतला | 9 ग्वालीरा | 15 माहीपुरा |
| 4 दरा अली स्वाद सहारनपुर | 10 मोहम्मदपुर | 16 खानआलमपुरा |
| 5 मेघ खण्डर | 11 पंजीरा | 17 मठानपुरा |
| 6 बाग कलातवावा | 12 दरगाहपुर | 18 शक खानू |

- | | | | | | |
|------|---------------------|------|---------------|------|-------------------|
| ✓ 19 | धोबेरको मुक | 47 | दमकडी | 75 | मनकडी बीउडीनपुर |
| ✓ 20 | केनामपुर | 48 | कादरपुर माफी | ✓ 76 | हुमनपुर कडीम |
| ✓ 21 | खजपुरा | 49 | रूपपुर | ✓ 77 | मुन्नापुर मजबता |
| ✓ 22 | मोहम्मदपुर गाडा | ✓ 50 | होजसेडी | 78 | चिककी |
| ✓ 23 | मदक दूपली | 51 | अब्दुल्लापुर | ✓ 79 | साबलपुर नवादा |
| 24 | जमालपुर | 52 | अब्दु मजरा | ✓ 80 | गिरवानी |
| 25 | पांढनी धूमहामपुर | 53 | दाबकी मुजर | 81 | संदपुरा |
| 26 | सम्भालको धुदं | ✓ 54 | निलखना | ✓ 82 | मुन्हेटी गाडा |
| 27 | धुदं | 55 | निलखना बरकाल | ✓ 83 | मको धुदं |
| ✓ 28 | अक हरेटी | ✓ 56 | भोगुर | ✓ 84 | मको अली |
| 29 | अक संददराजा | ✓ 57 | नत्हेडा बरकाल | 85 | मनपुर मजरा तहरपुर |
| 30 | तिवरपुर | ✓ 58 | अक आदमपुर | ✓ 86 | ताहिरपुर |
| ✓ 31 | दभोला | 59 | पोमीपुरा | ✓ 87 | बावशाहपुर |
| 32 | अक सराव मारती अम्द | ✓ 60 | बीदपुर | 88 | पो० बहभोलपुर |
| ✓ 33 | मद | ✓ 61 | मुषलमपुर | 89 | पुष्पपुर पुस्तहकम |
| ✓ 34 | गोडुलपुर | ✓ 62 | इममाइलपुर | 90 | पुष्पपुर अहममाल |
| ✓ 35 | देवला | 63 | अक काजीबाला | ✓ 91 | लाखनौर मु० |
| ✓ 36 | पाकी | 64 | देवबाला | ✓ 92 | लाखनौर अ० |
| 37 | गिर्जापुर मजरा पीकी | 65 | रूपडी मुजर | ✓ 93 | फयासा अ० |
| 38 | सलेमपुर भूकडी | 66 | केपुरपुर | 94 | पैरामपुर मु० |
| 39 | अगराजपुर | 67 | खतरी बाला | 95 | पैरामपुर अ० |
| 40 | मुन्नापुर कडीम | ✓ 68 | उताली | 96 | दूपमी बुलारा मु० |
| 41 | मूपमी | ✓ 69 | ईपरो | 97 | दूपमी बुलारा अ० |
| ✓ 42 | अन मुलभीन | ✓ 70 | जयरामपुर | 98 | अक पैरामपुर |
| ✓ 43 | अक देवमी | ✓ 71 | चितिया | 99 | दूरपुर मु० |
| 44 | दतोली रापड | ✓ 72 | अम्मीसेडा | 100 | पीली मजरा |
| 45 | मंसापुर | 73 | कम्बी मजरा | 101 | कुम्हारदेडा |
| ✓ 46 | हुलासपुर | ✓ 74 | पतेहपुर जट्ट | 102 | वापडे की अकंरमपुर |

आजा :

बी० जे० खोदाय

सधि



संज्ञा सं० एम. एम./एम. पी. 591

सांस्कृतिक सं० एम. पी. 591-51

सांस्कृतिक द. पोस्ट एंड टेलीग्राफिक विभाग

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ब)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 1995

वैशाख 15, 1917 संक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-5

संख्या 1347/9-आ-5-95-68-डी.पी.0-83

लखनऊ, 3 मई, 1995

अधिसूचना

आ०-805

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और काम अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) और (7) के अन्तर्गत प्रयोजित एवं प्रयोज्य लखनऊ नगरपालिका सरकारी अधिसूचना संख्या 721/9-आ-5-95-68-डी.पी.0-83, दिनांक मई 1995 को अधीन इस रूप में घोषित सहारनपुर विकास क्षेत्र को लिए एक प्राधिकरण का, जैसा कि नीचे दिया है, गठन करते हैं जो सहारनपुर विकास प्राधिकरण कहलाएगा।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

- | | |
|---|------------|
| (1) संपुक्त वेस्ट, मध्य, वेस्ट | प्रध्यक्ष |
| (2) जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर | उपप्रधान |
| (3) राज्य सरकार के आवास विभाग का सचिव या उसका सहाय-निर्देशी जो संपुक्त सचिव से अधिमूर्त पंक्ति का हो | पदेन सदस्य |
| (4) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका सहाय-निर्देशी जो संपुक्त सचिव से अधिमूर्त पंक्ति का हो | पदेन सदस्य |

उत्तर प्रदेश समाधान मन्त्र, 5 मई, 1995

- (5) मूल नगर तथा ग्राम योजनाकार, उ० प्र०, लखनऊ या उक्त नगर-निर्देशित नो अधिशासी पदेन सदस्य
समिपता या नगर योजनाकार से समिपता पंक्ति का है।
- (6) प्रमुख-निर्देशक, नगर विकास, उ० प्र०, लखनऊ या उक्त नगर-निर्देशित नो अधिशास्य पदेन सदस्य
समिपता से समिपता पंक्ति का है।
- (7) प्रमुख समिपता, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र०, लखनऊ या उक्त नगर-निर्देशित नो अधिशास्य पदेन सदस्य
समिपता से समिपता पंक्ति का है।
- (8) अध्यक्ष (मेसोवेन्ट), नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर पदेन सदस्य।

द्वारा से,
विजय शर्मा,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1347/IX-Awas-5-68-DA-83, dated May 3, 1995 :

No. 1347/IX-Awas-5-95-68-DA-83

Dated Lucknow, May 3, 1995

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (7) of section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Acts/Re-enactment with modification Act, 1974 (U. P. Act no. 30 of 1974) the Governor is pleased to constitute as under, an authority to be called the Saharanpur Development Authority for the Saharanpur Development Area declared as such under Government notification no. 721/IX-Awas-5-95-68 DA-83, dated May 3, 1995.

SAHARANPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Commissioner, Meerut Division, Meerut | Chairman |
| 2. District Magistrate, Saharanpur | Vice-Chairman |
| 3. Secretary to the State Government Department of Housing or his nominee not below the rank of Joint Secretary | Ex-officio member |
| 4. Secretary to the State Government Department of Finance or his nominee not below the rank of Joint Secretary | Ex-officio member |
| 5. Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee not below the rank of Executive Engineer or Town Planner | Ex-officio member |
| 6. Managing Director, Jal Nigam, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee not below the rank of Superintending Engineer | Ex-officio member |
| 7. Engineer-in-Chief, Lok Nirman Vibhag, Uttar Pradesh, Lucknow or his nominee, not below the rank of Superintending Engineer | Ex-officio member |
| 8. President, Nagar Palika Parishad, Saharanpur | Ex-officio member |

By order,
VIJAY SHARMA,
Sachiv.

सं० ए० ए० ए० १०-२०१० ४ सा० वि० वि०- (३०३)-१९९५-२००-११५ (पे० ०)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 अगस्त, 1997

श्रावण 29, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग-5

संख्या-3225/9-आ-5 97-98 डी०ए०-83

लखनऊ, 20 अगस्त, 1997

अधिसूचना

90 धा०-700

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (30 प्र० अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा तथा पुनः अधिनियमित और संशोधित 30 प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा-4 की उपधारा (7) के अधीन सन्तति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-1347/9 आ-5-95-68 डीए-83, दिनांक 3 मई, 1995 को आंशिक रूप से परिष्कृत करते हुये अथवा, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के मद पर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के स्थान पर आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-10
संख्या- 274 / आठ-10-16-3गठन/2008
लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2016

48

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-721/9-आ-5-95-68डी.ए./83, दिनांक 03 मई, 1995 में इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा में सहारनपुर तहसील के राजस्व ग्रामों की निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात:-

103.	चककटोती	104.	शंकलापुरी
105.	शाहपुर कदीम	106.	चकबदुल्ला सुल्तान
107.	सरखडी शेख	108.	वाजिदपुर मजरा सरखडी शेख
109.	घाटका	110.	सम्भालका जुनारदार
111.	सलेमपुर गाडा	112.	सम्भालकी शेख
113.	मोहिउद्दीनपुर	114.	गोंगल हेडी अहतमाल
115.	उग्राहू मुस्तहकम	116.	रसूलपुर पापडकी
117.	जमापुरबेरी मुस्तहकम	118.	जमापुरबेरी अहतमाल
119.	बहेडकी अहतमाल	120.	बहेडकी मुस्तहकम
121.	घोघरेकी अहतमाल	122.	बेरीतगा अहतमाल
123.	बेरीतगा मुस्तहकम	124.	चक बेरीतगा
125.	हसनपुर भलरवा अहतमाल	126.	हसनपुर भलरवा मुस्तहकम
127.	कपासा मुस्तहकम	128.	मुबारकपुर
129.	फिरोजपुर अहतमाल	130.	नन्दी अहतमाल
131.	मल्हीपुर	132.	जन्धेडी
133.	रसूलपुर	134.	फतेहपुर गुज्जर
135.	मोहनपुर गाडा	136.	मनानी
137.	तुगलकपुर	138.	छपरेडी
139.	चान्दनपुर	140.	काकरकुई
141.	काकराला	142.	रतनाखेडी
143.	थरौली	144.	कृष्णी

आज्ञा से,

(पनधारी यादव)

सचिव।

2